



- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया।
- सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने अब तक अट्ठारह ओटीटी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है।
- सांसद बिष्णु पद रे ने द्वीपसमूह में भूमि रिकॉर्ड और राजस्व से संबंधित अन्य मसलों पर द्वीपवासियों को हो रही तकलीफों की ओर प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री से प्रतिक्रिया मांगी है।
- मंगलुटान में कल बिजली से संबंधित विभिन्न मसलों पर जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- मध्योत्तर अंडमान ज़िला पुलिस ने लोहा टिकरी क्षेत्र से एक विदेशी घुसपैठी के साथ एक इंजन डिंगी को ज़ब्त किया।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में राज्यपालों का यह पहला सम्मेलन है। सभी राज्यों के राज्यपाल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, धर्मेन्द्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और डॉ मनसुख मंडाविया सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि राज्यपाल किस तरह विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा गृह मंत्रालय में कैबिनेट सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लिए। बैठक की कार्यसूची में तीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और विभिन्न खंडों या सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल किया गया। इसके अलावा माई भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक वृक्ष मां के नाम तथा प्राकृतिक खेती जैसे कई अभियानों में राज्यपालों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।



सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने अब तक अट्ठारह ओटीटी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पाइरेसी पर आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री मुरुगन ने कहा कि ओटीटी सामग्री की निगरानी के लिए दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों में आयु के अनुरूप सामग्री के प्रमाणीकरण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि माता-पिता के मार्गदर्शन के साथ-साथ सामग्री वर्गीकरण के लिए स्व-प्रमाणन को रखा गया है।



सांसद बिष्णु पद रे ने द्वीपसमूह में भूमि रिकॉर्ड और राजस्व से संबंधित अन्य मसलों पर द्वीपवासियों को हो रही तकलीफों की ओर प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री से प्रतिक्रिया मांगी है। सांसद कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री बिष्णु पद रे ने गृह मंत्री से भू-राजस्व से जुड़े विभिन्न मसलों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया या इस संबंध में जारी आदेश के संबंध में उत्तर मांगा है, जिसमें लोगों की भूमि से संबंधित तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जारी किया गया है। सांसद ने कहा कि यदि इस

तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सब डिविज़नल ऑफिसर को वर्ष दो हजार बीस तक प्राप्त आवेदनों का विवरण और पिछले चार वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण उन्हें उपलब्ध कराया जाए। सांसद ने निर्धारित समय तक मामले को लम्बित रखने के लिए संबंधित एस डी ओ और उनके सुपरवाइजरी अधिकारी के खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का भी जवाब मांगा है। समझा जाता है कि गृह मंत्री छः अगस्त को सांसद के प्रश्न का उत्तर देंगे।



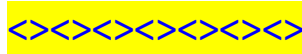
विद्युत विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में कल मंगलुटान में जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह दस बजे क्षेत्र के पंचायत हॉल में आरंभ होगी। इस जन सुनवाई में बिजली से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय निवासियों के साथ चर्चा की जाएगी। यह जन सुनवाई लोगों को अपनी समस्याएं रखने, प्रतिक्रिया देने और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को दर्ज करने और प्रभावी निवारण के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली शिकायत प्रबंधन पर एक प्रस्तुतिकरण और लाइव डेमो भी दिया जाएगा। स्थानीय निवासियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।



ओलम्पिक में आज पुरुष हॉकी के पुल-बी के एक महत्वपूर्ण मैच में भारत ने अपने अंतिम पुल मैच में ऑस्ट्रेलिया को दो के मुकाबले तीन गोल से पराजित कर दिया। भारत की ओर से यह गोल फील्ड गोल, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रॉक से किया गया। उन्नीस सौ बहत्तर के बाद यह पहला अवसर है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारतीय हॉकी टीम अब क्वार्टर फाइनल खेलेगी और क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा

इसका फैसला आज रात हो जाएगा। आज ही अब से कुछ देर बाद आर्चरी का मिक्स्ड टीम मुकाबला होगा, जिसमें अंकिता और धीरज सेमी फाइनल मुकाबला खेलेंगे।

उधर, मनु भाकर पच्चीस मीटर पिस्टल के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही है।



केरल के वायनाड में भीषण भूस्खलन में मृतकों की संख्या दो सौ चौहत्तर हो गई है। एक सौ सत्ताईस घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि एक सौ सात लोग लापता हैं। सत्तर राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां सात हजार से अधिक लोगों को रखा गया है। प्रभावित क्षेत्र को छह भागों में बांटा गया है। जहाँ मलबे के बीच और शवों की तलाश के लिए चालीस टीमों लगेंगी। प्रत्येक टीम में सशस्त्र बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियों के अलावा, तीन स्थानीय लोग और एक वन अधिकारी तथा डॉग स्क्वॉड भी शामिल है। चालियार नदी के किनारे चालीस किलोमीटर के क्षेत्र में भी शवों की तलाश की जा रही है।



मध्योत्तर अंडमान ज़िला पुलिस ने लोहा टिकरी क्षेत्र से एक विदेशी घुसपैठी के साथ एक इंजन डिंगी को ज़ब्त किया है। पुलिस ने स्थानीय मछुआरों से सूचना इकट्ठा कर योजना तैयार की और संदिग्ध क्षेत्रों में घुसपैठी विरोधी अभियान चलाया। घुसपैठी विरोधी टीम ने नॉर्थ रीफ के तटीय और खाड़ी क्षेत्रों में छानबीन शुरू की। इस अभियान के दौरान टीम को लोहा टिकरी क्षेत्र में इंजन डिंगी के साथ घुसपैठी के छिपे होने का पता चला। पुलिस की ओर से घुसपैठी को आत्मसमर्पण करने को कहा गया, लेकिन वह इसकी अवहेलना कर जंगल में भाग निकला। पुलिस के दल ने पीछा करते हुए घुसपैठी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। प्रारंभिक जांच के लिए घुसपैठी को कालीघाट पुलिस थाने लाया गया। पूछताछ के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए केन्द्रीय अपराध शाखा के हवाले कर दिया जाएगा। इस अभियान को ज़िला पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल की देखरेख में अंजाम दिया गया।



जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को यू जी सी दिशा-निर्देशों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार कॉलेज की वेबसाइट से आवेदन फार्म डाउनलोड कर स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ कॉलेज के प्राचार्य के कार्यालय में पांच अगस्त से तेरह अगस्त तक शाम साढ़े चार बजे तक जमा कर सकते हैं।

उधर, अंडमान कॉलेज में विभिन्न विषयों में अतिथि प्रवक्ताओं का पैनल तैयार किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रति लेक्चर पन्द्रह सौ रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा पचास हजार रुपये होगी। आवेदन फार्म कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन फार्म आठ अगस्त को शाम साढ़े तीन बजे तक कॉलेज कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

